PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांकः 1305/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–06 दिनांकः 06.09.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन कार्यहित में श्री अरविन्द सिंह रावत, सहायक अभियन्ता (जानपद), (सातवें वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 की मैट्रिक्स का लेवल–11) को अधिशासी अभियन्ता (जानपद) (सातवें वेतनमान रू0 67,700–2,08,700 की मैट्रिक्स का लेवल–12) के पद पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रोन्नत किया जाता है:–

1. श्री अरविन्द सिंह रावत वर्तमान में प्रदेश में हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण पारेषण तंत्र को हो रही क्षति के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता (जानपद) का कार्यभार अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही ग्रहण करेंगे तथा वर्तमान कार्यदायित्वों का निवर्हन यथावत् करते रहेंगे। श्री अरविन्द सिंह रावत की अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पद पर स्थायी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
2. श्री अरविन्द सिंह रावत की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है। उन्हें बिना कारण बतायें अथवा बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
3. श्री अरविन्द सिंह रावत को पदोन्नत पद पर इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. श्री अरविन्द सिंह रावत द्वारा अपना नवीनतम परिसम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण करते समय नियन्त्रक अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह श्री अरविन्द सिंह रावत द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की सूचना मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1305/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–06 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–निदेशक(मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.........................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल................।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल........................।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वयैक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)